


21.08.25

वत्रावली पेश हुई। वकील ग्रामी या ग्रामी संप
उपस्थित नहीं। बार-बार आवाज लगाने पर भी
उपस्थित नहीं हुए। अतः ग्रामी का पट ग्रामिका का
अदम पैरवी- अदम हाजिरी में इसी स्तर पर
खासिज किया जाता है। फ्रावली बाद तस्तीब
तकमील होकर यासिल दफतर है।

निर्णय लिखाया जाकर लुले नफायामप
में मुनाषा गप।


(सुनीलकुमार चौधान)
R.A.S.